BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 थाना गुलावठी

गौकश द्वारा वर्ष-2018 में फर्जी जमानतदार बनाकर जमानत लेने पर अभियोग पंजीकृत ।

जनपद बुलन्दशहर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर के आदेशानुसार समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में गौकशों के जमानतदारो के सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा हैं। इसी क्रम में दिनांक 01-04-2025 को थाना गुलावठी पुलिस द्वारा मुअसं-43/18 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में गौकश शादाब के जमानतदार करन सिंह पुत्र छिद्दा सिंह निवासी गांव भडौली थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर का सत्यापन किया गया तो करन सिंह द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा कोई जमानत नही ली गयी। गौकश शादाब द्वारा वर्ष-2018 में किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी जमानतदार बनाकर उसके नाम से जमानत ली गयी हैं। इस सम्बन्ध में करन सिंह उपरोक्त की तहरीर के आधार पर गौकश शादाब व एक फर्जी जमानतदार के विरुद्ध थाना गुलावठी पर मुअसं-127/25 धारा 420,467,468,471 भादवि पंजीकृत करते हुए सम्बन्धित न्यायालय को सूचित किया गया हैं।

मीडिया सैल, बुलंदशहर